


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील रेकटी संख्या 55/2013.....जिला.....भरतपुर.....

उनवान- मैसर्स कॉन्टीनेटल कंटेनर, भरतपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता भरतपुर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल, जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी ह
25.03.2015	<p style="text-align: center;"><b>एकलपीठ</b> <b>श्री मदनलाल - सदस्य</b></p> <p>अपीलार्थी अभिभाषक श्री दिनेश कुमार अनुपस्थित, प्रत्यर्थी विभाग की ओर से श्री डी.पी.ओझा उपराजकीय अभिभाषक उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी के अभिभाषक द्वारा निवेदन किया कि विचाराधीन रेकटीफिकेशन प्रकरण वापस लेना (Withdraw) करना चाहते हैं।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत <sup>प्रार्थना पत्र</sup> अपील को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी।</p> <p>फलस्वरूप अपीलार्थी अभिभाषक के कथन के आधार पर हस्तगत रेकटीफिकेशन प्रार्थना पत्र (Not Press) विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत रेकटीफिकेशन प्रार्थना पत्र जरिये विद्वान खारीज किया जाता है।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       25.3.2015                      (मदन लाल)                      सदस्य                 </p>	